उपखण्ड अधिकारी कोर्ट मु. सीकर

बनवारीलाल बनाम महेन्द्र कुमार आदि

प्रकरण 912 RTA मु.न. 279/2015

16/04/18	वकील प्रार्थी हाजिर अप्रार्थीगण की तामील हो। [illegible] तामील हो 26/06/18 को पेश हो [signature]
26/06/18	वकील प्रार्थी हाजिर अप्रार्थीगण तामील की तामील हो [illegible] 25/9/18 को पेश हो [signature]
5/9/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण की तामील आवश्यक कर [illegible] होकर पत्रावली [illegible] 13/11/19 को पेश हो। [signature]
13/11/19	पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/11/19 को पेश हो [signature]
27/11/19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित/अप्रार्थी [illegible] तामील [illegible] 8/1/20 को पेश हो [signature]
8/1/20	पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/1/20 को पेश हो [signature]
10/1/20	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व प्रार्थी में से कोई भी उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में वकील प्रार्थी व प्रार्थी को बाहर बार आवाज लगवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। पुनः न्यायालय समय दोपहर 3बजे तथा सायंकाल बाहर बार मे आवाज लगवाने पर भी वकील प्रार्थी व प्रार्थी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली इसी स्तर पर अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली कैफल श्रुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]

अभिभाषक संघ, सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आरएएस

प्रकरण सं0 68/2017/251 (ए) आरटीए

लाल बहादुर ढाका पुत्र भोपालसिंह उम्र 41 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर

बनाम

—प्रार्थी

1. भंवरसिंह पुत्र होलाराम
2. भवेश पुत्र किशनसिंह
3. दीपेश पुत्र किशनसिंह
4. सुमित्रा पत्नी किशनसिंह
5. मोती पुत्र बजरंगलाल

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति—

1. श्री प्रभातीलाल, वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री भगवानसिंह धायल, वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
3. श्री नानूराम बुडानियां, वकील अप्रार्थी सं. 2 ता 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 10.01.2020

01. वकील प्रार्थी की ओर से आवेदन अर्न्तगत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी व उसकी पत्नी सुनिता व पिता भोपालसिंह के संयुक्त खाते, कब्जे काश्त की भूमि खसरा सं. 779/633 व 781/635 वाके ग्राम नेतड़वास की तन में अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमियों में आवागमन हेतु एक प्रचलित रास्ता करीब 12 फीट चौड़ा उपरोक्त भूमियों की दक्षिणी सीमा में ग्राम कासली की सीमा में अवस्थित चारागाह भूमि खसरा सं. 220 से निकलकर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की खातेदारीशुदा भूमि खसरा सं. 466 में प्रवेश कर उसकी पश्चिमी सीमा के सहारे—सहारे चलता हुआ भूमि खसरा सं. 449, जो अप्रार्थी सं. 5 की खातेदारी की है, में प्रवेश कर उक्त खसरा की दक्षिणी सीमा के सहारे—सहारे चलता हुआ दक्षिण पूर्वी कौने पर आकर उत्तर दिशा की ओर घुम कर प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि खसरा सं. 779/633 के दक्षिणी पश्चिमी कौने में प्रवेश करता है, उक्त रास्ते को आवेदन—पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में मार्क क, ख, ग, घ से दर्शित किया गया है, जिसमें से होकर प्रार्थी व उसके सहखातेदार अपने खेत में आवागमन करते है। प्रार्थी के खेत में आवागमन का उक्त प्रचलित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटान में नहीं है तथा वर्तमान में प्रार्थी के खेत में गाड़ी, लडढा व अन्य भारी वाहनों के लाने व ले जाने में संकड़ा पड़ रहा है। इसलिए उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। आवेदन न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned with CamScanner

होने से आवेदन उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में मार्क क, ख, ग, घ से दर्शित रास्ते को 15 फीट चौड़ा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

02 आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार को प्रकरण में रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार के पत्रांक/भू.अ./12/5773 दिनांक 21.09.2012 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 5 की ओर से प्रकरण के स्वीकार किये जाने बाबत सहमति बाबत जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री भगवानसिंह धायल ने वकालतनामा पेश कर तहसीलदार की रिपोर्ट पर आपत्ति आवेदन पेश की। जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 की ओर से अभिभाषक श्री नानूराम बुडानियां उपस्थित हुये। इसी दौरान तत्कालीन पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सीकर के यहां प्रकरण को दिनांक 08.03.2013 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण निर्णित कर दिया गया। अप्रार्थी सं. 4 के अनापत्ति पर उक्त निर्णय को ही सहवन से होना पाया जाकर उक्त निर्णय दिनांकित 08.03.2013 को अपास्त कर अप्रार्थीगण के जवाब हेतु रखा गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 की ओर से जवाब आवेदन तथा तहसीलदार की रिपोर्ट पर आपत्ति आवेदन पेश किये गये। जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 की ओर से प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट पर आपत्ति आवेदन का जवाब वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही पूर्व में अप्रार्थी सं. की ओर से प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट पर आपत्ति आवेदन का जवाब वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 14.11.2017 को वकील प्रार्थी की ओर से लिखित बहस पेश की। जिसके पश्चात् तहसीलदार के पत्रांक/भू.अ./12/5773 दिनांक 21.09.2012 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर बहस उभयपक्ष से सुनी जाकर दिनांक 20.12.2017 को उक्त तहसीलदार की रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाकर पुनः विस्तृत व तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, धोद को लिखा गया। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांक/राजस्व/251–क आरटीए/2019/306 दिनांक 15.07.2019 के द्वारा पुनः रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब आवेदन में उल्लेखित किया गया कि आराजी खसरा सं. 779/633 व 781/635 में आवागमन का कोई रास्ता खसरा सं. 466 में से होते हुये मौके पर मौजूद नहीं है तथा न ही कभी पूर्व में रहा है। इसलिए रास्ता संकड़ा पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में तथाकथित रास्ता कायम करवाने का कोई अधिकार प्रार्थी को नहीं है। खसरा सं. 499 के खातेदार अप्रार्थी सं. 5 मोती ने प्रार्थी से साज कर प्रार्थी के हक में जवाब पेश किया है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते के आवेदन के समर्थन में ना तो कोई शपथ–पत्र पेश किया है और ना ही प्रस्तावित रास्ते के संबंध में कोई फोटोग्राफ पेश किये हैं। आवेदन के अनुसार मामला सुखाचार का बनता है, जिसे उद्घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है। इस प्रकार प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं है। प्रकरण में वर्णित खसरान के समस्त सहखातेदारान तथा आवश्यक पक्षकार भूमिधारक तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आराजी खसरा सं. 449 की पश्चिमी सींवा से लगता हुआ कटानशुदा रास्ता मौजूद है, जो कि प्रार्थी लाल बहादुर के आराजियात के नजदीकी रास्ता लगता है। जिसे संलग्न मानचित्र में बरंगसुर्ख तथा बअक्षर ए से बी अंकित किया है, उक्त रास्ता खसरा सं. 449 में से प्रार्थी की आराजियात में जाता है एवं खसरा सं. 449 के खातेदार मोती को रास्ता देने में कोई आपत्ति भी नहीं है। अतः प्रार्थी ने खसरा सं. 449 के पश्चिमी सीमा पर लगते हुये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned with CamScanner

कटानशुदा रास्ता को छिपाकर यह आवेदन पेश किया है, जो खारिज योग्य है। आराजी खसरा सं. 779/633 व 781/635 व अन्य खसरान का विभाजन से पूर्व खसरा सं. 450 व 451 था। जिनका उत्तर में खसरा सं. 452 व 448 के मध्य से होता हुआ रास्ता मुख्य रास्ता में मिलता है। यदि खसरा सं. 779/633 के उत्तरी तरफ से रास्ता नहीं होता तो वादग्रस्त रास्ता हेतु खसरा सं. 778/633, 780/635, 716/635, 714/633, 632/450 व 634/451 के काश्तकार भी रास्ते की मांग करते। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की रास्ते की मांग अनुचित हैं। आराजियात खसरा सं. 779/633 व 776/633 के पूर्व खातेदार ने भी कभी तथाकथित रास्ते बाबत क्लेम नहीं किया। प्रार्थी ने बिना किसी आधार के यह आवेदन पेश किया है, जो कि खारिज फरमाया जावें।

03. बहस उभयपक्ष से सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने आवेदन के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण वर्ष 2012 में पेश किया गया था, 2012 से आज तक मेरी भूमि में आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। आरटीए की धारा 251(क) के नियम 68 के अनुसार 251(क) का आवेदन पत्र प्ररूप (झ) में पेश किया जायेगा एवं असी अनुसार रास्ता दिया जायेगा। प्रार्थी ने विधिनुसार आवेदन पेश किया है। आरटीए की धारा 251(क) के नियम 69 के तहत जाचं करने का प्रावधान है। खसरा सं. 449 के खातेदार ने भी सहमति दी है। तहसीलदार की नवीन रिपोर्ट पर भी अप्रार्थीगण की आपत्ति नहीं है अतः उक्त रिपोर्ट सही है, इसी अनुसार रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने आवेदन के जवाब के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय के द्वारा रिलीफ के अलावा अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी को लघुत्तम रास्ता उपलब्ध कराया जायेगा ना कि अन्य खातेदार की जमीन को अनावश्यक खराब कर रास्ता दिया जायेगा। सरकारी भूमि चारागाह खसरा सं. 220 में से रास्ता कैसे दिया जा सकता है? खसरा सं. 449 के भी रास्ता नहीं है, उक्त ने रास्ते का आवेदन क्यों नहीं दिया? इससे स्पष्ट है कि खसरा सं. 449 प्रार्थी से मिला हुआ है। प्रार्थी के बताये अनुसार कोई रास्ता चालू नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित C रास्ता लघुत्तम है। खसरा सं. 449 से लगने वाले रास्ते का तथ्य छुपाया गया है। अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें। अप्रार्थी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी की पुरानी भूमि खसरा सं. 192 में स्थित थी। इसके वर्तमान में खसरा सं. 8 हैं। पुराना खसरा सं. 192 खसरा सं. 452 से लगता हुआ है तथा उक्त स्थिति में खसरा सं. 192 रास्ते से 76 मीटर दूर खसरा सं. 452 में पडती है। यही लघुत्तम एवं उपयुक्त रास्ता था, जो आज भी है। यह तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है। प्रार्थी ने आवेदन तथ्य छुपाकर पेश किया है। अतः प्रार्थी के आवेदन को खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। रिपीटल में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि किसी अन्य को रास्ता चाहे तो, वह न्यायालय में आवेदन पेश कर सकता है, केवल इसी बात पर प्रार्थी का आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता कि अन्य पड़ौसी खसरा नम्बरों के खातेदारों ने रास्ते की मांग नहीं की है। तहसीलदार की रिपोर्ट में प्रस्तावित लघुत्तम रास्ता C चालू नहीं है। प्रस्तावित A या B में से कोई रास्ता दे दिया जावें।

04. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा चारागाह के खसरा सं. 220 व निजी खातेदारी के खसरा सं. 466 में से रास्ता दिये जाने की मांग की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के अनुसार कोई खातेदार या खातेदारों का समूह अपनी कृषि भूमि में काश्त करने हेतु अन्य खातेदार या खातेदारों की कृषि भूमि से अधिकतम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सीकर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.01.15 16:26:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: